न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या – अपील नं0 2012/00140 (02/2012) 223 आरटीएक्ट

मु0 फुलीदेवी (पुत्री स्व0 श्री हंसराम)धर्मपति श्री दुलाराम जाति खाती निवासी दौलतपुरिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ – अपीलान्ट

बनाम

1. हरीराम दत्तक पुत्र हसंराम जाति राती नि0 राजपुरिया तह0 भादरा जिला हनुमानगढ .... रेस्पोडैन्ट
2. कृष्णलाल पुत्र स्व0 हरदेई पत्नि लिछूराम जाति खाली नि0 दौलतपुरा तह0 टिब्बी
3. देवीलाल पुत्र स्व0 हरदेई पत्नि लिछूराम जाति खाली नि0 दौलतपुरा तह0 टिब्बी
4. भूप सिंह पुत्र स्व0 हरदेई पत्नि लिछूराम जाति खाली नि0 दौलतपुरा तह0 टिब्बी हाल निवासी पल्लूरोड, रावतसर तह0 रावतसर जिला हनुमानगढ
5. रामलाल पुत्र स्व0 हरदेई पत्नि लिछूराम जाति खाली नि0 दौलतपुरा तह0 टिब्बी हाल निवासी सोनडी तहसील नोहर
6. हेतराम पुत्र स्व0 हरदेई पत्नि लिछूराम जाति खाली नि0 दौलतपुरा तह0 टिब्बी हाल नि0 सौनडी तह0 नोहर जिला हनुमानगढ
7. मु0 सावित्री (स्व0 हरदेई पत्नि लिछूराम) पत्नि भगवानाराम जाति खाती नि0 रोहिडावाली तहसील व जिला श्री गंगानगर
8. मु0सन्तरो (स्व0 हरदेई पत्नि लिछूराम) पत्नि बलराम जाति खाती नि0 रोहिडावाली तहसील व जिला श्री गंगानगर
9. मु0 लाडो (स्व0 हरदेई पत्नि लिछूराम) पत्नि धर्मपाल जाति खाती नि9 चक 4 के एच एम तहसील पूगल जिला बीकानेर
10. मु0 बिमला (स्व0 हरदेई पत्नि लिछूराम) पत्नि राजाराम जाति खाती निवासी चक 4 के एच एम तहसील पूगल जिला बीकानेर
11. मोहिनी (स्व0 हरदेई पत्नि लिछूराम) पत्नि पप्पुराम जाति खाती निवासी चोटियावाली ढाणी तहसील पीलीबंगा
12. मु0 सीमा (स्व0 हरदेई पत्नि लिछूराम) पत्नि डूंगरराम जाति खाती निवासी चोटियावाली ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
13. स्टेट जरिये तहसीदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ – रेस्पोडैन्टस

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनाक 15.11.2011 द्वारा सहायक कलैक्टर, नोहर प्र. सं. 144/2007 बअनवानी मु0फूलीदेवी बनाम हरीराम आदि

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

श्री मांगेराम गोदारा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक – 23.12.2019

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांटा ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि चक 13 जे एस एन तहसील नोहर में कुल 4.809 हैक्यर भूमि की वादीया व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2–1/2 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है। मृतक हंसराम की चक 12 जे एस एन में 60.06 बीघा में 1/3 हिस्सा था। हंसराज के कोई लडका नही था इसलिए हसंराज ने अपनी लडकी प्रतिवादी संख्या 2 का लडका हरीराम गोद ले लिया। हंसराज के देहान्त के बाद उसकी 2 लडकीयां व एक दतक पुत्र कुल 3 वारिस थे। प्रतिवादी संख्या 1 ने साजिशाना कार्यवाही करते हुए कुल भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली। चक 12 जे एस एन की 10 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ने कुरडा राम को विक्रय कर दी तथा चक 13 जे एस एन की 4.809 हैक्टयर भूमि अकेले हरीराम के नाम दर्ज है। हंसराज की कुल 30 बीघा भूमि में वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का बहिस्सा बराबर अर्थात प्रत्येक का 10–10 बीघा का हक था प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हिस्सा की भूमि विक्रय कर दी शेष भूमि की वादीया व प्रतिवादीया 2 बहिस्सा बराबर की हकदार है व इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज करने का आदेश दिया जावे। प्रतिवादी ने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया किवह दिनांक 16.2.1970 को हंसराज के गोद गया था तथा हंसराज की मृत्यु 1986 में हो गई थी उनकी मृत्यु के बाद हसंराज की पुत्रीयों ने अपना हिस्सा प्रतिवादी के पक्ष में छोड दिया व ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि का नामांतरण दिनांक 26.07.1988 को प्रतिवादी के नाम दर्ज कर दिया गया। वादीया ने अपनी पौत्री के बहकावे में आकर यह वाद प्रस्तुत किया है। अतः वाद वादीया खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

2. कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों की जवाबदेही के आधार पर तनकीयात विरचित करने के पश्चात दोनो पक्षों की साक्ष्य ली जाकर दिनांक 15.11.2011 को वाद वादीया खारिज किये जाने के आदेश दिये गये। अधिनस्थ न्याालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांटस द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गई।
3. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि स्वीकारोक्त रूप से अपीलांटा व स्व0 हरदेई स्व0 हंसराज की पुत्रीयां है व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्व0 हसंराज का दत्तक पुत्र है तथा प्रश्नगत् भूमि भी हंसराज की होना स्वीकृत है ऐसी स्थिति में कानून्न स्व0 हंसराज की समस्त सम्पति में अपीलांटा व स्व0 हरदेई व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बहिस्सा बराबर अर्थात प्रत्येक 1/3–1/3 हिस्सा के हकदार है। अपीलांटा द्वारा अपने हक हिस्सा का कभी भी परित्याग रेस्पोडैन्ट संख्या 1 के पक्ष में नही किया गया और कानून्न 100/–रुपये से अधिक सम्पति का हक तर्क/हस्तांतरण रजिस्टर्ड दस्तावेज से ही हो सकता है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत अपीलांटा का हंसराज की समस्त सम्पति में 1/3 हिस्सा का हक व अधिकार था व है जिसे न मानने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक स्थिति को समझे बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जावे व वाद–पत्र वादीया डिक्री किया जावे। वकील अपीलांट ने अपने बहक के समर्थन में सी सी सी 1999(1) पेज– 605, सी सी सी 2006(4) पेज-- 05, सी सी सी 2003(3) पेज– 163, सी सी सी 2015 पेज– 595, सी सी सी 2017(2) पेज– 535, आर आर डी 2010 पेज 30, आर आर डी 2015 पेज 16 पर प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की प्रतियां प्रस्तुत की।
5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडैन्ट कथन किये कि हंसराज की मृत्यु सन् 1986 में ही हो चुकी थी व श्री हसंराज की मृत्यु के समय ही अपीलांटा व स्व0 हरदेई ने हसंराज की सम्पति में मिलने वाला हक विरास्तन मौजिज लोगों की उपस्थिति व सरपंच ग्राम पंचायत की उपस्थिति में ही रेस्पोडैन्ट संख्या 1 के पक्ष में छोड दिया था तथा कानून्न हक तर्क मौखिक भी हो सकता है, ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण जांच कर ही स्व0 हसंराज के नाम दर्ज भूमि का विरास्तन इन्तकाल रेस्पोडैन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया है जो पूर्णतयः सही है, प्रश्नगत् भूमि मे अपीलांटा या अन्य किसी का

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

कोई हक व अधिकार नही है, अपीलांटा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद–पत्र लालचबंश स्व0 हंसराज की मृत्यु के 30 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई औचित्य व आधार नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्णतयः विधिनुसार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही है अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा विद्वाव अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्यन किया गया।

7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादाधीन चक 13 जे एस एन व चक 12 जे एस एन भूमि हंसराज पिता अपीलांट की होना स्वीकृत तथ्य है तथा यह भी स्वीकृत तथ्य है कि हंसराज के दो पुत्रीयां अपीलांटा व हरदेई थी व हंसराज के कोई पुत्र सन्तान नही होने के कारण उसके सन् 1970 में रेस्पोडैन्ट संख्या 1 को गोद लिया, जिसकी गोदनामा की चित्रप्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत है तथा रेस्पोडैन्ट संख्या 1 हसंराज का खोलायत पुत्र होने से भी कोई इन्कारी नही है। अपीलांटा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिये गये साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि अपीलांटा को हंसराज की भूमि का नामांतरण रेस्पोडैन्ट संख्या 1 के पक्ष में होने का शुरू से ज्ञान रहा है, चूंकि नामांतरण सन् 1987 में रेस्पोडैन्ट संख्या 1 के पक्ष में हो गया था जिसका ज्ञान अपीलांटा को शुरू से रहा है, लेकिन अपीलांटा ने अपने हकों के लिए उक्त वाद पत्र सन् 2007 में अर्थात 20 वर्षो बाद प्रस्तुत किया गया है तथा वाद इतनी देरी से प्रस्तुत करने का कोई युक्तियुक्त कारण भी अंकित नही किया है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए गवाह छोटुराम पुत्र सुरजा राम व गंगाराम पुत्र रामचन्द ने अपनी साक्ष्य से यह स्पष्ट किया है कि हंसराज से मिलने वाला हक अपीलांटा ने रेस्पोडैन्ट संख्या 1 के पक्ष में तर्क उसकी मृत्यु के समय ही कर दिया था तथा हंसराज के नाम दर्ज भूमि का नामांतरण रेस्पोडैन्ट संख्या 1 के पक्ष में करने में अपनी सहमति प्रकट की थी। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट होता है कि हंसराज के नाम दर्ज भूमि में अपना मिलने वाला हक हंसराज की पुत्रीयां अपीलांट व हरदेई ने अपने भाई रेस्पोडैन्ट संख्या 1 के पक्ष में हसंराज की मृत्यु के समय ही तर्क कर दिया था व इन्तकाल भी उसके नाम से दर्ज करवाने में सहमति दी थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई त्रुटि होना नही

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पाया जाता तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 15.11.2011 यथावृत रखे जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.11.2011 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायायल का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(आशाराम डूडी आर..ए.एस)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.01.10 13:51:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: